

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
30प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल, 2017

विषय- **वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में जिला योजना संरचना (जिला योजना समिति) हेतु प्रथम पांच माह के लिए स्वीकृत लेखा अनुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 673/ले0-41/2016, दिनांक 06.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रथम पांच माह हेतु चालू योजना "जिला योजना संरचना (जिला योजना समिति)" के अन्तर्गत मानक मद 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा मानक मद 42- अन्य व्यय में क्रमशः रू0 1.87 तथा 5.62 लाख, कुल धनराशि रू0 7.49 (रू0 सात लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आबंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर पी0एन0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-"3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-06- जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति) के अन्तर्गत मानक मद-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा मानक मद 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

::2::

8- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के पत्र सं0- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 4/2017/410 (1)/पैतीस-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।